



विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

संख्या / No.....

132253560
12/4/18 रजिस्टर्ड-पत्र
पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 96

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 11/4/18.....

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),

आन्ध्र प्रदेश, कैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

विषय:-दिनांक 31-12-2015 एवं इसके पश्चात मृत पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन संशोधन/ निर्धारण करने के सम्बंध में।
प्रसंग:- राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स2017दिनांक 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 एवं 24.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/947-1000H दिनांक 21.03.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओ को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

सलग्न:- पत्र दिनांक 21.03.2018 की प्रति

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति
11-4-18



PM -OG TS.

O/o Pr. Accountant General (A&E)
AP & Telangana Hyderabad



509627

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agerajasthan@cag.gov.in



.....

भारतीय लेखा विभाग
 भारत सरकार (एन. टी. एन.) विभाग
 INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&A), RAJASTHAN

दिनांक: